।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग,गोपेश्वर।।

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in Phone no-01372–252175

पत्रांक 4605/12–1 ,गोपेश्वर, दिनांक 14 जून 2021।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली।

विषयः– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत नन्दकेशरी–पूर्णा से धरा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.435 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/56/2021/एफ0सी0/2567 दिनांक 31.03.2021**

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून से सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त मोटर मार्ग के सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो के अनुसार इस कार्यालय द्वारा संशोधित मांग पत्र प्रेषित की जा रही है:–

1– शर्त सं0 01 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 2.87 है0 भूमि ग्राम सुयया खसरा संख्या 1265 M में प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0 972/3–5–2(II) दिनांक 21.11.2017 के अनुसार 2.87 है0 x 3,37,184.00=रू0 967718.08 या देय धनराशि रू0 9,67,718.00 मात्र जमा की जानी है।

2. शर्त सं0 02 के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरो के अनुसार देय 1.435 है0 दर 6,57,000.00= रू0 9,42,795.00 जमा की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मांग पत्र को ऑन लाईन अपलोड करते हुए नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन होने पर ऑनलाईन चालान से ही धनराशि Ad-hoc कैम्पा में जमा करने के पश्चात् सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार संलग्नकों सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए अनुपालन आख्या को ऑनलाईन पोर्टल में भी अपलोड करने का कष्ट करे। ताकि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु यथोचित कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक / , दिनांकित।

प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक, कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner